राज० अपील 29/17/18 रामनिवास बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2017/00131 श्रीवी.पी.सिंह राजावत एड़,	
22.02.2018	प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 14.12.2017 को पेशी हेतु नियत थी, किन्तु प्रार्थी के अभिभाषक मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर के न्यायालय में व्यस्त होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नही हो सकें, एवम् प्रार्थी को उनके अभिभाषक के द्वारा कहा गया था कि आपको हर तारीख पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नही है जिसके प्रार्थी भी उपस्थित नही हो सकें। इस कारण न्यायालय ने अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी। उक्त त्रुटि अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट एवं प्रार्थी/अपीलांट द्वारा जानबूझ कर नही की हैं। उक्त त्रुटि सदभाविक हुई, जो क्षम्य योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया गया। न्याय हित में आदेश दिनांक 14.12.2017 को निरस्त किया जाकर, प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाकर मेरिट पर निर्णय पारित किया जाना न्यायसंगत हैं। अतः न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाकर, न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.06.2017 को निरस्त किया जावें एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार कर, अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपील का न्यायहित में गुणावगुण पर निस्तारण किया जावें। अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार किया जाता हैं तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.12.2017 को निरस्त किया जाता हैं एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।	

Scanned by CamScanner